गांधी ग्राम एवं वैश्विक ग्राम का तुलनात्मक अध्ययन

Dr.Usha Pant Joshi / Gokul Singh Deopa

प्रस्तावना–

भारत की आत्मा उसके ग्रामों में बसती है। भारत में ग्रामों एवं ग्रामीण शासन व्यवस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। समय के साथ गांवों की स्थिति परिवर्तित होती रही है लेकिन मूल संरचना उसी रूप में बनी रही। भारत में औपनिवेशिक शासन ने ग्रामीण व्यस्था, संरचनात्मक ढांचे को बहुत क्षति पहुचाई। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत की आजादी के साथ ग्रामों के पुनर्निमाण एवं ग्रामोद्धार पर पर्याप्त जोर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी एक प्रमुख चिंतक थे। बीसवीं शदी में विश्व एवं भारत को नई दिशा प्रदान करने वाले महात्मा गांधी ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के विषय में ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसका प्रमुख उद्देश्य गॉवों को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, लैंगिक समता एवं स्वालम्बन की स्थिति में लाकर ग्रामोद्धार करना था। जिससे ग्राम स्वराज के माध्यम से हिन्द स्वराज या देश के सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था।

वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में सम्पूर्ण विश्व को ही वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी जा रही है। जो प्राचीन भारतीय दर्शन उदारचरितान्तु वसुधैव कुटम्बकम् को सार्थक करती प्रतीत होती है। वैश्विक संस्थाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, परिवहन ने सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न भागों को परस्पर जोड दिया है। इसने भौगोलिक सीमाओं की बाध्यता समाप्त कर दी है। जिसे विश्व–एकीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। अनेक अंतराष्ट्रीय संस्थाओं तथा बहुराष्ट्रीय कम्पिनयों की विभिन्न देशों में उपस्थिति ने देशों एवं स्थानीय सरकारों के कियाकलापों एवं नीति निर्माण की प्रकिया को प्रभावति किया है। लोगों की बडती जरूरतों के कारण किसी भी देश के लिये एकाकीपन की स्थिति में रहना संभव नही है। सभी देश किसी न किसी रूप में अन्य देशों पर निर्भर रहते है। अतः सभी देश परस्पर अपनी आवश्यकताओं के लिये एक–दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

आज हमारे सामने गांधी ग्राम एक संकल्पना के रूप में तो वैश्विक ग्राम वास्तविकता के रूप में विद्यमान है। वैश्विक ग्राम का महात्मा गांधी के संकल्पित

स्वालम्बी ग्रामों पर इसका प्रभाव एवं भूमिका के विषय में विचार किया जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि ग्रामों की परम्परागत संरचना तेजी से परिवर्तित हो रही है, ग्राम की स्वालम्बी होने के स्थान पर निरन्तर राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय कम्पनियों पर रोजगार एवं अपनी अपभोग जरूरतों के लिये निर्भरता बडती जा रही है। इस प्रकार से वैश्विक ग्राम ने सभी देशों को वस्तु, सेवा एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करने का कार्य किया है जिसमें भारतीय ग्रामों के विषय में महात्मा गांधी के संकल्पना के अनुरूप भारतीय ग्रामों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करना आवश्यक हो गया है। वैश्विक ग्राम ने लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा वस्तु एवं सेवा की आसान पहुॅच हेतु नया विकल्प उपलब्ध कराया है।

हिन्द स्वराज–

हिन्दुस्तान संदर्भ में उन्होंने जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसके केन्द्र में ग्राम एवं उनकी स्वायत्त पंचायती राज प्रणाली और उनका आर्थिक स्वालम्बन,

सामाजिक समता स्थापित करना मुख्य ध्येय था। आपके अनुसार ग्रामों का विकास ही देश का विकास होगा। आपने एक ऐसे आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक उसकी हिस्सेदारी एवं उत्तरदायित्वों की समुचिम पहुॅच हो सके। आपने व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से ग्राम, ग्राम से राष्ट्र के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें साध्य एवं साधनों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी रखी गयी थी। जो मुख्यतया सत्य, अहिंसा, सहयोग, समता, स्वालम्बन, स्वदेशी, खादी, स्वरोजगार, पंचायतीराज व्यवस्था पर आधारित थे। लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात तीव्र प्रतिस्पर्धा एवं बाजार आधारित क्रियाओं में निरन्तर वृद्धि के कारण असहाय एवं निर्बल वर्ग के लोगों तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आसान पहुॅच नही हो पा रही है।

जिस ग्राम स्वराज के रास्ते महात्मा गॉधी हिन्द स्वराज की स्थापना करना चाहते थे उससे हमारे गॉव कोसों दूर होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के नाम पर ग्रामों में शहरीकरण एवं मशीनीकरण को बढावा दिया जा रहा है। ग्रामों के विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वह ग्रामों को शहरों के रूप में परिवर्तित कर शहरी संस्कृति एवं वैश्विक संस्कृति का अनुकरण कर रही है। कृषि एवं सहायक उद्योग,

कुटीर उद्योग नष्टप्राय हो चुके है। अतः ग्रामीण जन भी अपनी दैनिक आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वालम्बी नही रह गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों रोजगर के अवसर घटते जा रहे हैं। अतः रोजगार के लिये पलायन की समस्या बड रही है गॉव खाली होते जा रहे है। अतः ऐसे समय में गांधी द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज की अवधारणा एक समग्र समाधान हो सकता है।

ग्राम स्वराज की अवधारणा–

जब भी ग्राम स्वराज की बात होती है तो मुख्यतया स्वराज की अवधारणा को केन्द्रित किया जाता है। लेकिन ग्राम स्वराज की मुख्य कडी ग्राम की चर्चा भी आवश्यक हो जाती है। अतः सबसे पहले हमें भारतीय ग्रामों को भारतीय विचारधारा के आधार पर देखना होगा। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बसने वाले परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता है। लेकिन यह परिभाषा भारतीय ग्रामों की सम्पूर्ण परिभाषित नही करती है। क्योंकि ग्राम भी एक जीवित एवं स्वायत्त इकाई होते है। उनकी पृथक संस्कृति, व्यवस्था, नाम एवं पहचान होती है। इस कारण से इसके ग्रामों को एक छोटे गणराज्य के समान या ग्राम गणराज्य माना जाता है। सभी जातियों एवं धर्मों के लिये समान अवसर उपलब्ध कराने में ग्रामीण व्यस्था की भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी रही है। इसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संरचना ने आत्मनिर्भर ग्रामों का विकास करने में महत्पूर्ण भूमिका निभायी है। गांधी ग्राम में स्थानीय संस्कृति, स्वायत्तता एवं पृथक पहचान को संरक्षित करने की संकल्पना की गयी थी। जबकि वैश्वीकरण की प्रकिया में स्थानीय संस्कृति एवं पहचान को वैश्विक रूप देने का प्रयास किया जाता है।

"ग्रामीण सभ्यता हमें विरासत में मिली है, हमारे देश की विशालता और उसकी विराट जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा उसकी जलवायु सबको देखते हुए लगता है कि ग्रामीण सभ्यता ही इसके भाग्य में लिखी हुई हैं।" (श्रीमन्नारायण गॉधी मार्ग की ओर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली 1969)। ग्रामीण व्यवस्था प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के संग्रहालय, भारत की संचित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। "ग्राम की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी, यदि ग्राम नष्ट हो जायेंगे तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जायेगा।" (भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73) ग्राम की संरचना में

विभिन्न जातियों एवं संस्थाओं को इस प्रकार स्थापित किया गया था, जैसे वह सभी किसी एक श्रृखला की कडियां हों सभी की स्थिति समान होती थी। किसी को भी विशेषाधिकार प्रदान नही किये गये थे। जीवन व्यापन करने के कियाकलापों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त थे।

स्वराज की अवधारणा–

स्वराज को परिभाषित करते हुए आपने लिखा है ''स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मशासन आत्म–संयम है। यह अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अकसर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छन्दता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज शब्द में नहीं है।'' स्वराज की अवधारणा एवं विकास की योजनाएं 1909 में लिखित पुस्तक हिन्द स्वराज से प्रारम्भ करते हुए जीवन भर इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते रहे। शाब्दिक रूप से स्वराज का अर्थ होता है अपना शासन या स्वयं का शासन। इस स्वयं के शासन में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सत्ता से शासित न होकर स्वयं की सत्ता से शासित होगा या आत्मानुशाषी होगा। यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता कुछ लोगों द्वारा संचालित न होकर सम्पूर्ण समाज द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होती है। अतः इस शासन प्रणाली में सत्ता का दुरूपयोग होने की संभावना न्यून होगी। इसका सीधा अर्थ आत्म–संयम या आत्म राज्य है।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के मुख्य घटक– ग्रामों का स्वालम्बन, पुनर्निर्माण एवं ग्रामोद्धार–

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा परम्परागत भारतीय ग्रामों के पुनर्निर्माण एवं ग्रामोद्धार करने पर आधारित है। जिसमें प्रत्येक ग्राम किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से मुक्त होगा। ग्राम स्वराज के विषय में आपने लिखा कि ''ग्राम–स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिये अपने पडोसियों पर भी निर्भर नही करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी चीजों क लिये जिसमें दूसरों का का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार हर एक ग्राम का पहला काम यह होगा
की वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपडे के लिये कपास खुद पैदा करेगा। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये कि जिसमें ढोर चर सकें और गॉव के बडों व बच्चें के लिये मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बंदोवस्त हो सके। हर एक गॉव में गॉव की अपनी पाठशाला, नाटकशाला और सभाभवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा वाटरवर्क्स होंगे जिसमें गॉव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है।बुनियादी तालीम के लिये आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जहॉ तक हो सकेगा गॉव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात पांत और क्रमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नही रहेंगे।'' (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942)

ग्राम में पंचायती राज की स्थापना–

भारत में पंचायती राज प्रणाली का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत प्रणाली अपनाने तक इसके प्रारूप एवं प्रणाली पर एक लम्बी चर्चा हुई थी। वर्तमान समय में ग्रामों में पंचायतीराज प्रणाली को लागू किया गया है, जिसमें समाज के सभी जातियों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। लेकिन इस प्रणाली को लागू करते समय महात्मा गांधी की संकल्पना एवं अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू नही किया गया। क्योंकि सीमित राजनैतिक स्वायत्ता प्राप्त होने मात्र से ग्राम स्वराज को प्राप्त नही किया जा सकता है। जब तक लोग एवं ग्राम स्वालम्बी नही हो जाते है वे अपने कार्यों हेतु दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जो ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा से मेल नही खाती है। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के साथ अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अनेक विकास येाजनाएं चलायी जा रही है। अतः अपनी जरूरतों के लिये ग्राम पंचायतें लोकल से लेकर ग्लोबल संस्थाओं पर निर्भर रहती है।

ग्राम में पंचायतों की स्थापना का उददेश्य ग्रामीणों को स्वायत्त शासन प्रदान कर स्वयं के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कियान्वयन में सहभागी बनाना

था। लेकिन इसने ग्रामीण परिवेश को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है। इन चुनावों में भ्रष्टाचार, शराब धनबल जनबल अनैतिक गतिविधियों ने लोगों के आपसी संबंधों का रसातल में पहुॅचाने का काम किया है। लोगों में परस्पर वैमनस्य पैदा हो रहा है, आपसी झगडे मारपीट एवं हत्यायें तक होने लगी है। जाति आधारित राजनीति से ग्रामों में बसने वाली जातियों का राजनैतिकरण हो रहा है। जिससे साम्प्रदायिक दंगों का खतरा निरन्तर बडता जा रहा है। जबकि वैश्विक ग्राम में पूंजी एवं संसाधनों के साथ तकनीक के तीव्र आवागमन की सुविधा होने से ग्रामीण विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्याग्रह, सहयोग एवं अहिंसा

महात्मा गांधी ने बताया कि सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गॉव का शासन चलाने के लिये एक खास शासन चलाने के लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री–पुरूषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगें। चूंकि इस ग्राम स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दण्ड का कोई रिवाज नही रहेगा। इसलिये पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कार्यकारिणी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही इस सरकार का निर्माता भी होगा उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के वश होकर चलेंगे। (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942) प्राचीन भारतीय दर्शन अहिंसा परमो धर्म को अपनाने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को वैश्विक ग्राम में लागू किया गया है।

ग्राम स्वरोजगार और आर्थिक स्वालम्बन–

महात्मा गांधी शिक्षा के साथ रोजगार को जोडना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का कौशल अवश्य होना चाहिये जिससे वह अपना जीवन व्यापन कर पाये। आपने स्वयं लिखा था कि "देहात वालों में ऐसी

कारीगरी एवं कला का विकास होना चाहिये जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गांवों का पूरा–पूरा विकास हो जायेगा तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ठ करने वाली कला–कारीगरी के धनी स्त्री–पुरूषों की गांवों में कमी नही रहेगी। गांव में कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पंडित और शोध करने वाले लोग भी होंगे। थोडे में, जिन्दगी की ऐसी कोई चीज नही होगी जो गांव में नही मिलेगी। आज हमारे गांव उजडे हुए और कूडे कचरे के ढेर बने हुये हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवासियों को ठगना या उनका शोषण करना असंभव हो जायेगा।'' (हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946) । भारत के बडते व्यापार घाटे एवं बेरोजगारी को विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बडाकर कम किया जा सकता है। अतः गांधी ग्राम में उपजी इन समस्याओं का समाधान वैश्विक ग्राम में खोजा जा सकता है।

कृषि का विकास

आजादी मिलने के पश्चात गांधी जी को अपनी ग्राम स्वराज संबंधी परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त नही हो पाया था। आजादी बाद नियोजित विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र को उचित स्थान नही मिल पाया था। क्योंकि इन प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को वरीयता दी गयी। इसके बाद की योजनाओं में कृषि क्षेत्र को आबंटित राशि घटती जा रही है और भारी औद्योगिक विकास एवं मशीनीकृत उत्पादन को वडावा दिया जा रहा है। रासायनिक उरर्वरकों का प्रचलन, कृषि यंत्रों का चलन होने से पशुओं की उपयोगिता घटती जा रही है।

कृषि या अन्य उद्योगों के लिये लोगों की बैंकिग संस्थाओं पर निर्भरता बडती जा रही है। दुधारू पशुओं की संख्या मवेशियों की संख्या घटती जा रही है। अभी तक के औद्योगिक विकास के मॉडल से स्पष्ट है कि जैसा इसके विषय में सोचा गया था कि इससे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा तीव्र गतिक उत्पादन से वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता आम लोगों तक आसान एवं सस्ती मूल्यों में हो सकेगी। प्रतिस्पर्धा का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। ऐसा तो नही हो पाया। अतः इस पर नये सिरे से विचार करना होगा। किस प्रकार ग्रामों का विकास किया जा सकता है। लोग ऋण जाल से ग्रसित हो रहे हैं।

ग्रामीण विकास स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन

औद्योगिक विकास के मॉडल ने गांधी के परिकल्पित ग्राम स्वराज को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास तो नहीं किया बल्कि जो ग्राम सदियों से चले आ रहे थे उनकी संरचना एवं कियाओं को नष्टप्राय कर दिया है। आज गांवों कुम्हार, बढई, लोहार, बुनकर, ठठेरा माल ढुलाई करने वाले मोची आदि सभी के उद्यम नष्ट प्राय हो चुके है। इनकी जगह बडे बहुदेशीय कम्पनियों में निर्मित सामान गांवों तक आसानी से अपनी पहुंच बनाने में सफल हो रहे हैं। जिसमें आधुनिक त्वरित परिवहन प्रणाली, सूचना तकनीक एवं ऑनलाइन शॉपिग जैसे कारक ग्राम की संरचना को परिवर्तित कर रहे हैं। ग्रामों में छोटे कस्बों में चलने वाली दुकानों में मुख्यतया चीन निर्मित सामाग्री बिकती है जिसमें स्वदेशी वस्तुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। ग्रामों में कचरे के ढेर पैदा हो रहे है जिसमें मुख्य कारक प्लास्टिक सामाग्री है जो कि बहुदेशीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित सामाग्री कचरे का एकमात्र कारक है। पलायन को मजबूर हो रहे है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र कुटीर उद्योग में रोजगार के अवसर एवं जी0डी0पी0 में अंश घटते जा रहे हैं। वर्तमान समय में केन्द्र

सरकार साकार स्किल इंडिया मिशन के अन्तर्गत लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि जब तक लोग स्वालम्बी नहीं होंगे तब तक स्वालम्बी ग्रामों की संकल्पना को मूर्त रूप नही दिया जा सकता है।

सामाजिक समता–

महात्मा गांधी ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को घोर किया। इन सब कुरीतियों को अपने ग्राम स्वराज की स्थापना में प्रमुख बाधा माना था। आपने स्वयं लिखा था–''मेरे सपनों स्वराज्य में जाति धर्म के लिये कोई स्थान नही होगा।'' आपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का समर्थन है। आपने लिखा है–''कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज्य तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिन्दुओं का ही राज्य होगा। इस मान्यता से ज्यादा बडी दूसरी गलती

नही हो सकती। अगर यह सही सिद्ध हो तो अपने लिये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसे स्वराज मानने से इंकार कर दूंगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका विरोध करूंगा। मेरे लिये हिन्द स्वराज का अर्थ सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है।'' (यंग इंडिया 16 अप्रैल 1931)

लैंगिक समता एवं महिला सशक्तिकरण

लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध आपका मानना था कि अहिंसा की नींव पर रचे गये जीवन की रचना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य तय करने का है। ग्रामीण महिलाओं के विषय में आपने लिखा है कि ''मैं भलीभॉति जानता हूँ कि गांवों में औरते अपने मर्दो के साथ वराबारी से टक्कर लेती है। कुछ मामलों मे उनसे बढी–चढी है और हुकुमत भी चलाती है। लेकिन हमें बाहर से देखने वाला कोई भी तटस्थ आदमी यही कहेगा कि हमारे समूचे समाज में कानून और रूढी की रू से औरतों को जो दर्जा मिला है, उसमें कई खामियां है और उन्हें जडमूल से सुधारने की जरूरत है।'' आपने महिला एवं पुरूषों के समान अधिकारों की वकालत की

थी।''स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नही कर सकता मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये जो पुरूषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी प्रकार का कोई भेद नही किया जाना चाहिये। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये।''

निष्कर्ष

गांधी जी ने कोई नवीन विचार या सिद्धान्त प्रस्तुत नही किया बल्कि आपका सम्पूर्ण जीवन ही सत्य एवं समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने के प्रयोगों की अविच्छिन्न श्रृखला है। गांधी ग्राम की अवधारणा को किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष तक

सीमित नही किया जा सकता है। क्योंकि इसकी निर्धारित शर्तें सभी समाजों एवं देशों के लिये चाहे एकल संस्कृति वाले हों या बहुल संस्कृति वाले हों सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। वैश्वीकरण के बाद

रोजगार, ज्ञान–विज्ञान, वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन ने लोगों को नये अवसर किये हैं। मैं यह नही चाहता कि मेरा घर के चारों ओर दीवार हों, मेरे खिडकियॉ बन्द हों। मैं चाहता हूँ सभी क्षेत्रों की संस्कृति स्वतन्त्र एवं हर सभव सीमा में मेरे घर की ओर बहे। लेकिन मैं दसरों के घर में एक अजनबी, दास या भिक्षुक रूप में रहने से इन्कार कर दूंगा। यंग इंडिया 1–6–1921 पृ. 170।

सतही रूप से देखने पर गांधी ग्राम एवं वैश्विक परस्पर विरोधी हो सकते है। लेकिन गांधी ग्राम एवं वैश्विक एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि ग्राम विकास से राष्ट्र विकास तथा राष्ट्रों के विकास से अंतराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर वैश्वीकरण के विरोध में कहा जाता है लोगों को संसाधनों के समुचित उपयोग करने के स्थान उपभोगवादी संस्कृति को बडावा दिया जा रहा है। जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों के समाप्त होने का खतरा बडता जा रहा है। महात्मा गांधी इस सम्बन्ध में पहले ही आगाह कर दिया था, आपने कहा था "प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन है किन्तु हमारे स्वार्थ की पूर्ति हेतु नही।" लेकिन विचारकों ने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बडाते हुए ऐसी स्थिति से निबटने के लिये सतत विकास को अपनाया जा रहा है। अतः संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित गांधी ग्राम की शर्तें वैश्विक ग्राम के लिये भी समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक है। आज अनेक वैश्विक संस्थाओं गांधीवादी विचारों के अनुरूप नीति निर्माण एंव क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है। अतः संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वैश्विक ग्राम गांधी ग्राम की अग्रिम अवस्था है।

सन्दर्भ सूची–

गांधी, महात्मा, हिन्द स्वराज 1909। हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942 हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946 यंग इंडिया, 16 अप्रैल 1931 यंग इंडिया 1 जून–1921 पृ. 170

सम्पूर्ण गांधी वाडगमय, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73 श्रीमन्नारायण, गॉधी मार्ग की ओर, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1969)।

Kumar, Anil, Relevance of Gandhi in Globalised Era 2011 ISBN: 978-9380138-53-4

Pandey, Ashutosh, Relavance Of Gandhi In 21st Century2010 ISBN: 978-93-80031-89-7

Kumar, Ravindra, Mahatma Gandhi in the beginning of 21st Century 2006 ISBN: 81-212-0898-X

Singh, Prem, Gandhian's Vision of world order, 2010, ISBN: 978-8376-259-5

Pabla, A.S., Principles Of Gandhi, 2011, ISBN:-978-81-7884-817-4

Prasad, Ambika, Life and philosophy of Mahatma Gandhi, 2012, ISBN: 978-81-7884-954-6

By:

Dr. Usha Pant Joshi
Associate Professor
Department Of Economics
M.B.P.G. College haldwani

Gokul Singh Deopa
Resaerch Scholar
Department Of Economics
M.B.P.G. College haldwani